

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

:: अधिसूचना ::

राँची, दिनांक- 06.12.24

सं०-सी०एस०-01/आर०-08/2024. 1679 /भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली-2000 के नियम 6(1) में निहित प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री, झारखण्ड की सलाह से झारखण्ड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण को सरकार के विभागों का कार्य निम्नलिखित रूप से आवंटित करते हैं -

क्र०	मुख्यमंत्री/मंत्री	विभाग का नाम
1.	श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री	1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। 2. गृह (कारा सहित) विभाग। 3. पथ निर्माण विभाग। 4. भवन निर्माण विभाग। 5. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित) तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है।
2.	श्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री	1. वित्त विभाग। 2. वाणिज्य-कर विभाग। 3. योजना एवं विकास विभाग। 4. संसदीय कार्य विभाग।
3.	श्री दीपक बिरुवा, मंत्री	1. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन रहित)। 2. परिवहन विभाग।
4.	श्री चमरा लिण्डा, मंत्री	1. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) विभाग।
5.	श्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री	1. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। 2. उद्योग विभाग
6.	श्री रामदास सोरेन, मंत्री	1. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। 2. निबंधन विभाग।
7.	श्री इरफान अंसारी, मंत्री	1. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। 2. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। 3. आपदा प्रबंधन विभाग।

8.	श्री हफीजूल हसन, मंत्री	1. जल संसाधन विभाग। 2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
9.	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मंत्री	1. ग्रामीण विकास विभाग। 2. ग्रामीण कार्य विभाग। 3. पंचायती राज विभाग।
10.	श्री योगेन्द्र प्रसाद, मंत्री	1. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। 2. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
11.	श्री सुदिव्य कुमार, मंत्री	1. नगर विकास एवं आवास विभाग। 2. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। 3. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग।
12.	श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी, मंत्री	1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


6.12.24
(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या-सी०एस०-01/आर०-08/2024.1679/राँची, दिनांक-06.12.24

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/विकास आयुक्त/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/गृह मंत्रालय, भारत सरकार/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.12.24
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या-सी०एस०-01/आर०-08/2024.1679/राँची, दिनांक-06.12.24

प्रतिलिपि - सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.12.24
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या-सी०एस०-01/आर०-08/2024.1679/राँची, दिनांक-06.12.24

प्रतिलिपि - प्रधान महालेखाकार, हिन्, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.12.24
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या-सी०एस०-01/आर०-08/2024...1679.../राँची, दिनांक-...06.12.2024...

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड को अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


6.12.24

सरकार के प्रधान सचिव